न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 16 / 2020

तारीख रजू:– 11.2.2020

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

कुम्हेर सिंह पुत्र भैरोसिंह जाति राजपूत निवासी उरदैन तहसील टोडाभीम जिला
ली

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:– श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 5.1.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उर्दन त आराजी ख0न0 311 / 0.17, 168 / 0.58, 873 / 0.25, 131 / 0.06, 136 / 915 / 0.03, / 0.18, 192 / 987 / 0.02, 195 / 0.16, 196 / 0.19, 197 / 0.30 है0 प्रार्थी के पिता भैरोसिंह कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रार्थी सिंह का विधिक पुत्र है। विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय हल्का पटवारी ने जॉच ये बिना गुमान सिंह पुत्र भैरोसिंह का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम हेरसिंह पुत्र भैरोसिंह दर्ज किया जाना चाहिये था। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो मे कुम्हेर ह पुत्र भैरोसिंह दर्ज है। प्रार्थी के खाते मे प्रधानमंत्री कृषक सहायता योजना के पैसे आये थे नको निकलवाने गया तो प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो मे कुम्हेरसिंह नाम होने व राजस्व कार्ड मे गुमान सिंह नाम दर्ज होने से भुगतान नही मिल पाया है नाम शुद्व कराने के लिये सीलदार टोडाभीम को प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2020 को प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होने सक्षम यालय मे नाम दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा इस कारण प्रार्थना पत्र रा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन है कि ग्राम उर्दन की जमाबन्दी सम्वत 76–79 के खाता संख्या 23, 24, 25 मे दर्ज नाम गुमान सिंह पुत्र भैरोसिंह को हजफ कर हेर सिंह पुत्र भैरोसिंह दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम को तलब कर पोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट इस आशय से तुत की है कि ग्राम उर्दन की साविक जमाबन्दी सम्वत 2022–25 के खाता संख्या 139 मे वाईसिंह, लक्ष्मण सिंह , भगवान सिंह, गुमानसिंह पि0 भैरोसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जो रोसिंह के फौत होने पर विरासत के नामांतकरण से आया है। तथा जमाबन्दी सम्वत 076–79 के ख0न0 311 / 0.17, 168 / 0.58, 873 / 0.25, 131 / 0.06, 136 / 915 / 0.03, 37 / 0.18, 192 / 987 / 0.02, 195 / 0.16, 196 / 0.19, 197 / 0.30 है0 मे वादी का नाम मानसिह पुत्र भैरोसिंह दर्ज कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा पर्चा मौका का हवाला देते हुये ह भी अवगत कराया है कि गुमान सिंह पुत्र भैरोसिंह एवं कुम्हेरसिंह पुत्र भैरोसिंह एक ही यक्ति है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं भाई लक्ष्मण सिंह का शपथ पत्र आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड निर्वाचक नामावली प्रस्तुत की है।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कथन किया की तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्ट में भी गुमानसिंह एवं कुम्हेर सिंह को एक ही व्यक्ति बताया है जिसका सही नाम कुम्हेर सिंह ही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये राजस्व रिकार्ड में गुमानसिंह पुत्र भैरोसिंह के स्थान पर कुम्हेर सिंह पुत्र भैरोसिंह का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे। पेशकार सरकार ने भी उक्तानुसार नाम सही किये जाने का कथन किया।

प्रार्थी एवं पेशकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया तहसीलदार टोडाभीम ने प्रस्तुत रिपोर्ट में गुमानसिंह एवं कुम्हेर सिंह को एक ही व्यक्ति होना बताया है। प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 815881729303, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र क्रमांक आर जे/11/088/336564, राशन कार्ड संख्या 07631200051, तथा निर्वाचक नामावली 2018 की भाग संख्या 142 की क्रम संख्या 212 पर कुम्हेर सिंह पुत्र भैरोसिंह नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन, शपथ पत्रों, एवं तहसीलदार टोडाभीम की अनुशंसा के आधार पर गुमानसिंह पुत्र भैरोसिंह के स्थान पर कुम्हेर सिंह पुत्र भैरोसिंह नाम दर्ज किया जाना उचित पाता हू।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम उरदैन की जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 23,24,25 में दर्ज अन्तर्गत आराजीयात ख0न0 311/0.17, 168/0.58, 873/0.25, 131/0.06, 136/915/0. , 137/0.18, 192/987/0.02, 195/0.16, 196/0.19, 197/0.30 है0 में दर्ज नाम गुमानसिंह पुत्र भैरोसिंह के स्थान पर कुम्हेर सिंह पुत्र भैरोसिंह नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

05.01.21

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली